रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2006/वैशाख 21, 1928
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2006/VAISAKHA 21, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2006

सा.का.नि. 282(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1955 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 में उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) कोई भी केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में किसी भी ऐसे टेलीविजन प्रसारण या चैनल को प्रसारित या शामिल नहीं करेगा जिसको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो" :

परंतु, कोई भी केबल ऑपरेटर जिसने इस अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पूर्व केन्द्रीय सरकार को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, किसी भी टेलीविजन प्रसारण या चैनल को, अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि तक अथवा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के मंजूर या अस्वीकृत होने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपनी केबल सेवा में प्रसारित या शामिल करना जारी रख सकेगा :

परंतु, यह और कि 2 दिसम्बर, 2005 से पूर्व अपलिंकिंग हेतु प्रदान की गई अनुमति के अनुसार भारत से अपलिंक किए जाने वाले चैनलों को "रजिस्ट्रीकृत" टेलीविजन चैनल माना जाएगा और उनको केबल सेवा में प्रसारित या शामिल किया जा सकता है।

[फा. सं. 2302/1/2004 बी. सी.-III]

प्रवीण कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 729(अ) तारीख 29 सितम्बर, 1994 के तहत प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996 और सं. सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2006

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby Makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 6, after Sub-rule (5), the following shall be inserted, namely :—

" (6) No cable operator shall carry or include in his cable service any television broadcast or channel, which has not been registered by the Central Government for being viewed within the territory of India" :

Provided that a cable operator may continue to carry or include in his cable service any Television broadcast or channel, who has made an application for registration to the Central Government on or before the date of commencement of this notification, for a period of six months from the date of such commencement or till such registration has been granted or refused, whichever is earlier :

Provided further that channels uplinking from India, in accordance with permission for uplinking granted before 2nd December, 2005, shall be treated as "registered" television channels and can be carried or included in the cable service.

[F. No. 2302/1/2004-BC-III]

P. K. TRIPATHI, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 and amended *vide* number G.S.R. 459(E), dated the 8th October, 1996 and G.S.R. 710(E), dated 8th September, 2000.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.